

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 142

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करना

142. श्री मुरसोली एस.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधि के अपर्याप्त होने और विलंबित रूप से जारी होने से देश भर के कई राज्यों में विकास कार्य और सामाजिक कल्याण पहलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, तमिलनाडु सहित, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य-वार कुल कितनी निधि जारी की गई है और कुल कितनी निधि लंबित है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (ग): संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां, स्कीम के दिशानिर्देशों, राज्यों द्वारा मांग, पहले जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और राज्य के आनुपातिक हिस्से के अंशदान के अनुसार जारी की जाती हैं।

तमिलनाडु राज्य को जारी की गई निधियों सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान, केंद्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियों की कुल राशि क्रमशः अनुबंध-I और II में दी गई है।

\*\*\*\*\*

सोमवार 01 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 142 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

| केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य-वार/विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र -वार जारी धनराशि |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (करोड़ रु. में)   |                    |                    |                    |                    |                    |
| वर्ष  |                    |                    |                    |                    |                    |
| राज्य के नाम  | 2020-21            | 2021-22            | 2022-23            | 2023-24            | 2024-25            |
| <b>कुल योग:</b>   | <b>3,86,048.16</b> | <b>4,23,616.63</b> | <b>4,17,283.21</b> | <b>4,19,894.88</b> | <b>3,63,718.78</b> |
| आंध्र प्रदेश  | 12,982.79          | 10,624.13          | 16,776.19          | 14,669.69          | 11,263.95          |
| अरुणाचल प्रदेश  | 3,177.90           | 4,878.69           | 4,353.27           | 4,467.09           | 3,589.46           |
| असम   | 15,370.50          | 23,147.27          | 24,803.89          | 23,072.35          | 20,360.24          |
| बिहार   | 22,346.15          | 21,893.52          | 25,174.75          | 22,991.59          | 27,123.16          |
| छत्तीसगढ़   | 10,691.27          | 9,335.47           | 13,530.07          | 13,525.26          | 15,021.81          |
| दिल्ली  | 24,752.97          | 66,030.73          | 26,349.21          | 16,331.33          | 18,677.47          |
| गोवा  | 186.56             | 173.43             | 341.20             | 381.99             | 331.82             |
| गुजरात  | 9,430.04           | 12,701.03          | 14,472.82          | 14,063.07          | 10,478.10          |
| हरियाणा   | 3,878.82           | 4,014.29           | 4,405.83           | 4,023.88           | 3,495.14           |
| हिमाचल प्रदेश   | 4,390.69           | 6,902.81           | 5,861.33           | 5,047.68           | 5,750.31           |
| जम्मू एवं कश्मीर  | 7,452.78           | 8,166.19           | 8,404.45           | 12,151.38          | 8,907.59           |
| झारखंड  | 9,361.34           | 9,626.25           | 11,172.22          | 11,755.00          | 9,703.34           |
| कर्नाटक   | 13,577.16          | 18,297.56          | 19,191.78          | 19,421.43          | 14,807.36          |
| केरल  | 8,641.49           | 8,299.85           | 10,249.13          | 8,061.49           | 7,794.77           |
| मध्य प्रदेश   | 25,984.34          | 30,383.61          | 30,145.75          | 26,250.28          | 27,316.84          |
| महाराष्ट्र  | 47,606.49          | 16,785.18          | 24,443.00          | 30,293.96          | 27,968.44          |
| मणिपुर  | 3,772.63           | 3,537.43           | 3,634.16           | 1,898.82           | 2,844.01           |
| मेघालय  | 3,264.12           | 4,423.31           | 4,467.45           | 6,207.04           | 3,549.10           |
| मिजोरम  | 1,853.71           | 1,872.91           | 2,470.16           | 2,538.77           | 1,756.20           |
| नागालैंड  | 2,266.71           | 2,403.95           | 2,880.78           | 3,466.93           | 2,069.18           |
| ओडिशा   | 17,276.87          | 17,940.66          | 17,287.90          | 21,804.57          | 14,497.91          |
| पुद्दुचेरी  | 190.55             | 269.78             | 269.99             | 294.60             | 421.33             |
| पंजाब   | 3,953.65           | 4,963.20           | 5,023.71           | 4,349.73           | 5,541.53           |
| राजस्थान  | 20,972.79          | 25,423.81          | 26,912.36          | 21,732.16          | 23,069.67          |
| सिक्किम   | 998.98             | 1,095.25           | 1,318.13           | 1,445.03           | 1,081.36           |
| तमिलनाडु  | 19,838.22          | 24,397.21          | 24,164.13          | 28,018.59          | 17,674.73          |
| तेलंगाना  | 14,540.60          | 12,753.72          | 13,093.87          | 13,890.81          | 14,928.02          |
| त्रिपुरा  | 3,181.37           | 4,709.48           | 4,705.62           | 5,347.58           | 3,643.09           |
| उत्तर प्रदेश  | 40,756.45          | 44,286.02          | 51,422.67          | 63,923.25          | 45,506.11          |
| उत्तराखंड   | 5,943.46           | 5,734.52           | 6,819.49           | 7,082.93           | 5,465.52           |
| पश्चिम बंगाल  | 27,406.79          | 18,545.33          | 13,137.87          | 11,386.61          | 9,081.21           |

\*स्रोत: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सोमवार 01 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 142 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध II

| केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य-वार/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र -वार जारी धनराशि |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |                    |                    | (करोड़ रु. में)    |
| वर्ष   |                    |                    |                    |                    |                    |
| राज्य के नाम   | 2020-21            | 2021-22            | 2022-23            | 2023-24            | 2024-25            |
| <b>कुल योग:</b>  | <b>6,70,729.25</b> | <b>8,43,775.05</b> | <b>9,65,591.28</b> | <b>9,11,271.45</b> | <b>9,38,984.28</b> |
| आंध्र प्रदेश   | 13,166.21          | 13,840.97          | 11,279.84          | 11,218.13          | 13,279.45          |
| अरुणाचल प्रदेश   | 467.74             | 666.64             | 319.15             | 372.75             | 415.07             |
| असम  | 5,216.04           | 5,907.59           | 4,711.93           | 7,118.26           | 7,861.53           |
| बिहार  | 11,268.47          | 15,289.13          | 18,002.26          | 13,020.61          | 15,843.24          |
| छत्तीसगढ़  | 10,475.46          | 13,252.70          | 10,695.63          | 8,103.89           | 8,446.95           |
| दिल्ली   | 3,14,235.91        | 4,39,186.21        | 5,47,278.42        | 5,50,020.86        | 5,56,168.15        |
| गोवा   | 1,865.34           | 1,924.64           | 2,918.14           | 3,454.74           | 3,079.90           |
| गुजरात   | 12,271.70          | 17,124.57          | 19,567.52          | 15,937.95          | 16,840.23          |
| हरियाणा  | 8,679.94           | 12,856.47          | 13,683.57          | 15,258.51          | 22,970.05          |
| हिमाचल प्रदेश  | 871.74             | 1,335.56           | 1,170.13           | 1,019.05           | 987.59             |
| जम्मू एवं कश्मीर   | 1,524.04           | 1,426.09           | 1,119.52           | 1,511.29           | 2,160.80           |
| झारखंड   | 2,365.75           | 2,189.87           | 1,987.80           | 2,000.48           | 3,819.77           |
| कर्नाटक  | 11,103.49          | 14,423.98          | 15,274.51          | 13,692.40          | 14,379.62          |
| केरल   | 5,967.37           | 6,896.26           | 7,262.03           | 6,039.77           | 6,106.34           |
| मध्य प्रदेश  | 20,752.80          | 24,714.54          | 18,115.45          | 27,251.69          | 19,846.20          |
| महाराष्ट्र   | 1,05,914.57        | 1,22,780.30        | 1,12,496.94        | 75,006.00          | 76,787.38          |
| मणिपुर   | 700.18             | 681.33             | 412.19             | 339.24             | 690.92             |
| मेघालय   | 1,163.35           | 2,858.40           | 2,309.50           | 2,175.06           | 1,735.08           |
| मिजोरम   | 584.63             | 536.39             | 154.25             | 205.84             | 264.30             |
| नगालैंड  | 497.44             | 626.17             | 238.59             | 259.52             | 277.21             |
| ओडिशा  | 14,518.54          | 16,798.86          | 15,383.36          | 21,790.80          | 17,408.66          |
| पुदुचेरी   | 197.59             | 243.05             | 202.95             | 221.28             | 193.96             |
| पंजाब  | 4,149.25           | 4,631.25           | 2,791.38           | 4,317.48           | 4,985.18           |
| राजस्थान   | 17,432.61          | 18,748.40          | 27,821.87          | 20,998.25          | 20,595.58          |
| सिक्किम  | 206.60             | 313.54             | 117.79             | 91.87              | 95.97              |
| तमिलनाडु   | 19,655.69          | 16,829.74          | 18,915.89          | 16,782.23          | 21,319.63          |
| तेलंगाना   | 20,778.65          | 21,086.50          | 25,830.61          | 22,811.45          | 17,595.39          |
| त्रिपुरा   | 592.88             | 628.95             | 444.34             | 405.49             | 326.65             |
| उत्तर प्रदेश   | 44,821.45          | 43,479.52          | 59,618.40          | 52,503.18          | 56,990.94          |
| उत्तराखंड  | 3,385.75           | 3,654.43           | 2,901.65           | 1,834.82           | 2,477.11           |
| पश्चिम बंगाल   | 15,898.10          | 18,843.01          | 22,565.67          | 15,508.57          | 25,035.43          |

\*स्रोत: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

\*\* आंकड़ों में राज्य कोषागार और कार्यान्वयन एजेंसी को जारी राशि शामिल है।

